फाईनल डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली

इजलास श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

1. सुरेन्द्र पुत्र कपूरचन्द
2. आकाश पुत्र घनश्याम
3. लक्ष्मीदेवी पत्नि अखलेश

जाति महाजन निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————— वादीगण

बनाम

1. श्यामसिंह पुत्र भरोसी जाति जोगी निवासी बस स्टेण्ड के पास जोगी पाडा सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं0 04 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .....मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार सूरौठ से दिनांक 25.03.2021 को प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार फाईनल डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 2037 / 1 रकबा 0.37025 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38025 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का वादीगण आकाश पुत्र घनश्याम जाति महाजन हि01 / 3, सुरेन्द्र पुत्र कपूर चन्द जाति महाजन हि01 / 3, श्रीमती लक्ष्मी पत्नि अखलेश कुमार गोयल जाति महाजन हि01 / 3 निवासीयान सूरौठ तहसील [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा खसरा नम्बर 2037 / 2 रकबा 0.00975 है0 वाके [illegible] सूरौठ का प्रतिवादी सं01 श्यामसिंह पुत्र भरोसी जाति जोगी निवासी सूरौठ [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.37025 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38025 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। निर्णय व डिक्री की प्रति मय नक्शा ट्रेस की प्रति के साथ तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31-03-2021 को यह डिक्री जारी की गई।

31.03.2021
सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 04 / 2018 तारीख रजू:– 24.01.2018

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. सुरेन्द्र पुत्र कपूरचन्द | जाति महाजन निवासी सूरौठ
2. आकाश पुत्र घनश्याम | तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. लक्ष्मीदेवी पत्नि अखलेश | राजस्थान —————————— वादीगण

बनाम

1. श्यामसिंह पुत्र भरोसी जाति जोगी निवासी बस स्टेण्ड के पास जोगी पाडा सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट वादीगण

निर्णय दिनांक :– 31-03-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण का दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 19.03.2021 को प्राथमिक डिकी किया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.01 है0, 2037 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी [illegible] हिस्सा 13 / 40 वादी सं02 को हिस्सा 13 / 40 वादी सं03 को हिस्सा 13 / 40 एवं प्रतिवादी सं01 को हिस्सा 1 / 40 के खातेदार काश्तकार हैं। तहसीलदार [illegible] स्टाम्प फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर, बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सूरौठ ने पत्रांक एलआर/2020/983 दिनांक 25.03.2021 के साथ बंटवारा स्कीम दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश की है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस मुताबिक बंटवारा स्कीम वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड तथा बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया। बंटवारा स्कीम दिनांक 25.03.2021 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.37025 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38025 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ वादीगण आकाश पुत्र घनश्याम हि01/3, जाति महाजन सा0देह खातेदार, सुरेन्द्र पुत्र कपूर चन्द हि01/3 जाति महाजन सा0देह खातेदार, श्रीमती लक्ष्मी पत्नि अखलेश कुमार गोयल हि01/3 जाति महाजन सा0देह खातेदार के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 2037/2 रकबा 0.00975 है0 वाके ग्राम सूरौठ श्यामसिंह पुत्र भरोसी जाति जोगी सा0देह खातेदार के हिस्से में आयी है। वकील वादीगण उक्त बंटवारा स्कीम से सहमत हैं। बंटवारा स्कीम मुताबिक निर्णय तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है। ऐसे हालात में मुताबिक बंटवारा स्कीम वादीगण का दावा फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुताबिक बंटवारा स्कीम दिनांक 25.03.2021 के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.37025 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38025 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ को वादीगण आकाश पुत्र घनश्याम जाति महाजन हि01/3, सुरेन्द्र पुत्र कपूर चन्द जाति महाजन हि01/3, श्रीमती लक्ष्मी पत्नि अखलेश कुमार गोयल जाति महाजन हि01/3 निवासीयान सूरौठ तहसील सूरौठ के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा खसरा नम्बर 2037/2 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

00975 है0 वाके ग्राम सूरौठ का प्रतिवादी सं01 श्यामसिंह पुत्र भरोसी जाति जोगी निवासी सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.01 है0 गैमु0 चाह, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.37025 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0. 38025 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। निर्णय व डिक्री की प्रति मय नक्शा ट्रेस की प्रति के साथ तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31-03-2021........ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner